



प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक

23 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु इन्ट्रीगेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस०-48/इन्ट्रीगेटेड वि०स्वी०प्रस्ताव/2026-27, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0104-इन्ट्रीगेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान में प्रावधानित धनराशि ₹० 1553.50 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि ₹० 388.75 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- यह धनराशि मात्र वेतन, भत्ते एवं आवश्यक अधिष्ठान मदों पर ही व्यय की जाय। कृषि निदेशक, उ०प्र० यह सुनिश्चित करेंगे कि समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
- 2- प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर स्वीकृत धनराशि का तत्काल समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- 7- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
- 8- ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का होगा।
- 9- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक:** 2401001110104 (इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1011	2401001110104 इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	2,22,50,000 (रुपये दो करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र)
2011	2401001110104 इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	1,45,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)
3011	2401001110104 इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	21,25,000 (रुपये इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
कुल			3,88,75,000 (रुपये तीन करोड़ अट्ठासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)

महायोग	3,88,75,000 (रुपये तीन करोड़ अट्ठासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-30/2026/414/001-12-5002-002-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।